दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि) 522/2024

निपुण मल्होत्रा ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री जय अनंत देहाद्रई, श्री मोहम्मद तस्नीमूल हसन, श्री सिद्धार्थ शर्मा, श्री मार्टिन जॉर्ज और श्री शिवम कुणाल, अधिवक्तागण

बनाम

सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अन्य .....प्रत्यर्थी

द्वारा: प्रत्यर्थी-1 हेतु श्री आत्माराम एनएस नंदकर्णी, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री अलीपाक बनर्जी, सुश्री तनीषा खन्ना, सुश्री करिश्मा कार्तिक, सुश्री कामायनी शर्मा, एआर, श्री नमित चतरथ, एआर, श्री सल्वाडोर संतोष रिबैलो और श्री बृजेश उज्जैनवाल, अधिवक्तागण

निर्णय तिथि: 15 जनवरी, 2024

कोरम:

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

<u>निर्णय</u> (मौखिक)

1. याचिकाकर्ता, एक विकलांग व्यक्ति, ने फिल्म 'आंख मिचोली' ('फिल्म') के निर्माण में प्रत्यर्थी सं. 1 यानी सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया प्राइवेट

लिमिटेड के कार्यों से व्यथित होकर जनहित याचिका के रूप में यह रिट याचिका दायर की है। जिसमें कथित तौर पर विकलांग व्यक्तियों ('पीडब्ल्यूडी') के खिलाफ अपमानजनक और भेदभावपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं।

2. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्यर्थी सं. 2, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ('सीबीएफसी') को चलचित्र अधिनियम, 1952 ('1952 का अधिनियम') की धारा 3 के तहत फिल्म प्रमाणन बोर्ड के भीतर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ('आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम') के विषय पर और उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत सलाहकार पैनल का गठन करने के लिए एक विशेषज्ञ को शामिल करने हेतु निर्देश देने की मांग कर रहा है। याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी सं. 1 के खिलाफ राहत की भी मांग की है, जिसमें दिव्यांगों का समर्थन करने वाले किसी भी धर्मार्थ संगठन को दंडात्मक क्षति से राहत(तें) और सार्वजनिक माफी भी शामिल है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपनी फिल्म में शारीरिक विकलांगता से पीड़ित कई पात्रों को कठपुतली और आम लोगों के लिए विषम के रूप में चित्रित किया है। उनका कहना है कि फिल्म में ऐसे दृश्य और चरित्र चित्रण शामिल हैं जो न केवल अरुचिकर हैं बल्कि नकारात्मक रूढ़ियों को भी मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म में दिव्यांगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के विशिष्ट उदाहरण रिट याचिका

के पैराग्राफ संख्या 8 और 9 में निर्धारित किए गए हैं। उनका कहना है कि फिल्म आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 3(3) का उल्लंघन है।

3.1 उनका कहना है कि फिल्म दिनांक 03.11.2023 को रिलीज़ हुई थी और तब से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही है। उनका कहना है कि दिनांक 26.09.2023 को प्रकाशित फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी सं. 1 को एक कानूनी नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब दिनांक 17.10.2023 को दिया गया था, जिसमें रचनात्मक स्वतंत्रता का हवाला देते हुए उसके तर्कों का खंडन किया गया था।

3.2 बहस के दौरान, उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता तब संतुष्ट होगा जब न्यायालय सीबीएफसी के भीतर और क्रमशः 1952 के अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत गठित सलाहकार पैनल में एक विशेषज्ञ को शामिल करने के लिए प्रत्यर्थी सं. 2 के खिलाफ मांगी गई प्रार्थना (क) पर राहत पर विचार करता है।

4. प्रत्यर्थी सं. 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि इस याचिका में मांगी गई राहत असमर्थनीय है। उन्होंने कहा कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए नोटिस का दिनांक 17.10.2023 को विधिवत जवाब दिया था और फिल्म पर अपना रुख स्पष्ट किया था। वह ***राकेश ओमप्रकाश मेहरा और एन.आर. (v) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य*** और विशेष रूप से पैराग्राफ 44 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हैं कि फिल्मों में सामाजिक बुराइयों को संबोधित करने के लिए, उनके परिणामों को सामने लाने

के लिए ऐसी सामाजिक बुराइयों को चित्रित करना आवश्यक है। उनका कहना है कि फिल्म का समग्र संदेश और मुख्य कहानी विकलांगता पर काबू पाने पर केंद्रित है।

5. इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान वकीलों की प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

6. सबसे पहले, याचिकाकर्ता द्वारा फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद और केवल ट्रेलर की विषय-वस्तु के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 को दिनांक 06.10.2023 को कानूनी नोटिस जारी किया गया था। सीबीएफसी द्वारा 'यू' प्रमाणन प्रदान करने के बाद फिल्म को ही दिनांक 03.11.2023 को रिलीज़ किया गया था। सीबीएफसी ने फिल्म के ट्रेलर और फिल्म को 'यू' प्रमाणपत्र दिया था।

7. प्रत्यर्थी सं. 1 ने दिनांक 17.10.2023 के अपने जवाब में नोटिस में आरोपों का यह कहकर स्पष्ट रूप से खंडन किया था कि फिल्म का इरादा अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों को अपमानित या अपमानित करना था। प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपने जवाब में फिल्म के समग्र संदेश को समझाया जैसा कि इसके निर्माता द्वारा व्यक्त किया जाना था। जवाब का संगत भाग निम्नानुसार है:

> *"4. हमारे क्लाइंट अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं और उनकी ईमानदारी और गरिमा को गहराई से महत्व देते हैं, और फिल्म इस भावना के साथ बनाई गई है। हमारे क्लाइंट का अपनी फिल्मों के माध्यम से अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों को अपमानित या अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है।*
>
> *5. <u>वास्तव में, फिल्म का समग्र संदेश विकलांगता की चुनौती पर काबू पाकर प्यार और साथ पाना है। फिल्म के माध्यम से हमारे क्लाइंट ने दिव्यांग व्यक्तियों और उनके</u>*

परिवारों द्वारा सामना किए गए संघर्षों को चित्रित करने का प्रयास किया है जैसे वे एक-दूसरे का समर्थन कैसे करते हैं, वे अपनी परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं और प्यार और साझेदारी पाते हैं और इसका लक्ष्य व्यापक रूप से प्रचलित धारणा को खत्म करना है कि विकलांगता एक पूर्ण जीवन जीने में एक बाधा है। ट्रेलर केवल फिल्म के नायकों का परिचय है, जो कि दिव्यांग हैं, जबकि फिल्म का उद्देश्य यह समग्र संदेश देना है।

6. पात्रों की स्थापना के लिए उनकी विकलांगता का परिचय देना आवश्यक है। इसलिए, पात्र और उनकी विकलांगताएं ट्रेलर का फोकस बिंदु हैं, जिन्हें कॉमेडी फिल्म के रूप में फिल्म की शैली को ध्यान में रखते हुए हास्यपूर्ण तरीके से चित्रित किया गया है। बॉबी आर्ट इंटरनेशनल बनाम ओम पाल सिंह हून व अन्य 2("बैंडिट क्वीन केस") के मामले में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सामाजिक बुराइयों को संबोधित करने वाली फिल्मों को उनके परिणामों को सामने लाने के लिए ऐसी सामाजिक बुराइयों को चित्रित करने की आवश्यकता है। इसी प्रकाश में, ट्रेलर केवल विनोदी तरीके से, फिल्म की कथा के लिए मंच तैयार करने के लिए नायक की विकलांगता का वर्णन करता है, न कि विकलांग व्यक्तियों का अपमान या अपमान करने के लिए। ट्रेलर में इस्तेमाल की गई कुछ अभिव्यक्तियाँ पूरी तरह से उक्त किरदारों को निभाने वाले कलाकारों के प्रदर्शन को नाटकीय बनाने के लिए हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुरूप हैं।

7. फिल्म के समग्र संदेश को और अधिक संप्रेषित करने के लिए, वास्तव में, फिल्म के कई दृश्य और मुख्य कहानी विकलांगता पर काबू पाने और प्यार पाने पर केंद्रित हैं। फिल्म विभिन्न तरीकों को दर्शाती है कि पात्र अपनी विस्तृत योजनाओं और योजना के माध्यम से चतुराई से अन्य व्यक्तियों को कैसे मात देते हैं। उदाहरण के लिए, मुख्य पात्र, पारो को रतौंधी के बावजूद, अपनी सुनने की क्षमता और स्थानिक जागरूकता पर भरोसा करते हुए, एक रेलवे स्टेशन से अपने घर तक पांच किलोमीटर की यात्रा करते हुए दिखाया गया है। इसी तरह, एक अन्य पात्र, युवराज, को होंठ पढ़ने में उत्कृष्ट दिखाया गया है और उसे सुनने की अक्षमता के बावजूद पूरी तरह से काम करने में सक्षम दिखाया गया है। फिल्म इन पात्रों पर दया नहीं करती है या उन्हें हेय दृष्टि से नहीं देखती है, बल्कि उनकी एजेंसी की भावना, तीक्ष्णता, समस्या-समाधान कौशल और मजबूत पारिवारिक बंधन को दर्शाती है। तदनुसार, ऐसे चित्रण न तो अपमानजनक हैं और न ही हानिकारक रूढ़िवादिता को कायम रखने वाले हैं।

8. जैसा कि आपने नोटिस के _4 में उल्लेख किया है, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जीजा घोष बनाम भारत संघ 3 के मामले में कहा कि "... कई विकलांग व्यक्तियों का यह सामान्य अनुभव है कि वे सामाजिक बाधाओं और उनके साथ होने वाले भेदभाव के कारण पूर्ण जीवन जीने में असमर्थ हैं... विकलांग व्यक्तियों को न केवल समाज में बल्कि परिवार में भी सबसे अधिक उपेक्षित किया जाता है। अधिकतर वे दया के

पात्र होते हैं...।" हालांकि, फिल्म में, नायक के परिवार अपने किसी भी विकलांग सदस्य की उपेक्षा नहीं करते हैं, बल्कि एक परिवार के रूप में मिलकर काम करते हुए उनकी खुशी सुनिश्चित करने के लिए जबरदस्त प्रयास करते हैं। जो दृश्य हरभजन को गलत समझे जाने का चित्रण करते हैं, वे उस दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता का भी प्रतिबिंब हैं जिसका भारत में बोलने में बाधा वाले व्यक्तियों को सामना करना पड़ता है।"

(जोर दिया गया)

8. याचिकाकर्ता ने दिनांक 17.10.2023 को जवाब प्राप्त होने और दिनांक 03.11.2023 को फिल्म की रिलीज के बाद वर्तमान याचिका दायर होने तक फिल्म के संबंध में प्रत्यर्थी सं. 1 के साथ कोई और शिकायत नहीं की। रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने अपने जवाब में प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विवाद नहीं किया है, जिसमें कहा गया है कि फिल्म का समग्र संदेश विकलांगता पर काबू पाने के आसपास केंद्रित है या फिल्म में उन पात्रों की ताकत को दर्शाया गया है जो विकलांग हैं। इसलिए, इस आधार पर फिल्म के लिए प्राथमिक चुनौती कि यह संवेदनाओं के लिए आक्रामक है, स्थापित नहीं किया गया है।

9. दूसरे, यह अभिलेख की बात है कि सीबीएफसी ने अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मूवी 'यू' प्रमाणन प्रदान किया है। प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपने जवाब दिनांक 17.10.2023 में 1952 के अधिनियम की धारा 5ख(2) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी सीबीएफसी दिशानिर्देशों का उल्लेख किया है। जो केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और

सीबीएफसी को फिल्मों को प्रमाणित करते समय ध्यान में रखना होता है। वर्तमान याचिका में उठाए गए मुद्दे के लिए प्रासंगिक दिशानिर्देश निम्नानुसार है:

*"**फिल्म प्रमाणन के उद्देश्य***

A. फिल्म का माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील रहता है;

B. कलात्मक अभिव्यक्ति और रचनात्मक स्वतंत्रता पर अनुचित अंकुश नहीं लगाया जाता है;

C. प्रमाणन सामाजिक परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार है;

D. फिल्म का माध्यम स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करता है; और

E. जहां तक संभव हो, फिल्म सौंदर्यपरक मूल्य की और सिनेमाई तौर पर अच्छे स्तर की हो

उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसरण में, सीबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि

...

3. दृश्य-

हिंसा में बच्चों की संलिप्तता को पीड़ितों और हिंसा के जबरन गवाह के अपराधियों के रूप में दिखाना, या बच्चों को किसी भी प्रकार के बाल शोषण के अधीन दिखाना।

A. <u>शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार या उपहास दिखाना; और</u>

B. जानवरों के प्रति क्रूरता दिखाना या उनसे दुर्व्यवहार करना अनावश्यक रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है

फिल्म प्रमाणन बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि फिल्म

A. <u>का मूल्यांकन उसके समग्र प्रभाव के दृष्टिकोण से किया जाता है; और</u>

B. की जांच फिल्मों में चित्रित अवधि और देश के समकालीन मानकों और फिल्म से संबंधित लोगों को ध्यान में रखते हुए की जाती है, बशर्ते कि फिल्म दर्शकों की नैतिकता का उल्लंघन न करे।

(जोर दिया गया)

10. प्रत्यर्थी सं. 1 ने ऊपर उल्लिखित अपने जवाब में पहले ही फिल्म में निहित रचनात्मक इरादे को स्पष्ट कर दिया है, जो निर्माता के अनुसार इन

पात्रों की ताकत को उनकी विकलांगता के बावजूद दिखाने का इरादा रखता है।

11. इस न्यायालय में ***राकेश ओमप्रकाश मेहरा*** (पूर्वोक्त) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सीबीएफसी द्वारा किसी फिल्म को जारी किए गए प्रमाणपत्र के बाध्यकारी प्रभाव पर विचार किया और पैरा 44 में इसके निष्कर्ष निर्धारित किए जो निम्नानुसार है:

> *"44. पूर्वोक्त चर्चा के मद्देनजर, यह न्यायालय निम्नानुसार निष्कर्ष निकालता है: -*
>
> *i. कानून के शासन पर आधारित लोकतांत्रिक समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अमूल्य है। हमारा लिखित संविधान न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बल्कि अभिव्यक्ति के बाद की स्वतंत्रता की भी गारंटी देता है।*
>
> *ii. हालांकि भारतीय संविधान के तहत पूर्व प्रतिबंध वाली फिल्मों की सेंसरशिप उचित है, फिर भी सेंसर को स्वतंत्रता के पक्ष में पर्याप्त छूट देनी होगी, जिससे रचनात्मक कला के लिए जीवन और समाज की कुछ कमजोरियों के साथ-साथ जो अच्छा है उसकी व्याख्या करने के लिए एक विशाल क्षेत्र छोड़ दिया जाए। नतीजतन, फिल्म दिल्ली-6 कला का एक नमूना होने के नाते, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के संरक्षण की हकदार है।*
>
> *iii. **यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई फिल्म संविधान द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है, फिल्म को उसकी संपूर्णता में देखना है ना कि फिल्म के कुछ भावों और दृश्यों की जांच करना है जैसा कि वर्तमान प्राथमिकी में याचीगण द्वारा की जाने की मांग की गई है। न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि यह फिल्म उस दर्शक के दिमाग पर क्या प्रभाव डालेगी जिसके लिए यह फिल्म बनाई गई है। शब्दों और दृश्यों के प्रभाव को एक समझदार, मजबूत दिमाग, दृढ़ और साहसी आदमी के मानकों से आंका जाना चाहिए न कि कमजोर और अस्थिर दिमाग के मानकों से आंकना चाहिए।***
>
> *iv. **एक फिल्म जो यह संदेश देती है कि सामाजिक बुराई बुराई है, उसे इस आधार पर अस्वीकार्य नहीं बनाया जा सकता कि वह सामाजिक बुराई को दर्शाती है। यह ध्यान में रखना होगा कि जो फिल्म सामाजिक बुराई के परिणामों को दर्शाती है, उसमें उस बुराई को अवश्य दिखाया जाना चाहिए।***
>
> *v. वर्तमान फिल्म को संपूर्णता में देखा जाए तो यह अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करती है। वर्तमान मामले में याचीगण को अनुसूचित जाति/अनुसूचित*

जनजाति समुदाय के सदस्यों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं बताया जा सकता है। वर्तमान फिल्म किसी भी तरह से छुआछूत की प्रथा का समर्थन नहीं करती है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अर्थ के अंतर्गत याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए कृत्य अस्पृश्यता का प्रचार और आचरण करने के समान नहीं हैं।

*vi. **चलचित्र अधिनियम की धारा 5-क और भा.दं.सं. की धारा 79 संस्था के लिए और प्रत्यर्थी संख्या 2-परिवादी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को जारी रखने के लिए एक स्पष्ट कानूनी बाधा का गठन करती है।** वास्तव में, सीबीएफसी द्वारा जारी प्रमाणपत्र याचिकाकर्ता को फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए पूर्ण कानूनी औचित्य प्रदान करता है और उन्हें भा.दं.सं., अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 साथ ही नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत अपराधों से मुक्त करता है।*

vii. इस न्यायालय के पास प्रारंभिक चरण में ही जांच के तहत प्राथमिकी को रद्द करने की शक्ति है।

(जोर दिया गया)

12. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, फिल्म को सीबीएफसी द्वारा 'यू' प्रमाणपत्र दिया गया है, जो अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए है। 1952 के अधिनियम की धारा 5 क (1) (क) के तहत जारी उक्त प्रमाण पत्र को देखते हुए; उक्त धारा और स्थापित कानून के परंतुक के अनुसार, इस न्यायालय की राय है कि इस मामले के तथ्यों में, प्रत्यर्थी सं. 1 के खिलाफ मांगी गई राहत बनाए रखने योग्य नहीं है।

13. प्रार्थना (क) में प्रत्यर्थी सं. 2 के खिलाफ मांगी गई राहत के संबंध में, इस न्यायालय को उक्त राहत में कोई योग्यता नहीं मिलती है। याचिका में उक्त राहत को उचित ठहराने का कोई आधार या कानूनी आधार नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, केंद्र सरकार ने फिल्म को मंजूरी देने के उद्देश्य से

सीबीएफसी को 1952 के अधिनियम की धारा 5ख(2) के तहत पहले ही दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं।

14. आवेदनों के साथ वर्तमान याचिका तदनुसार खारिज की जाती है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

न्या. मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

जनवरी 15, 2024/एमएसएच

शुद्धिपत्र की जांच के लिए यहां क्लिक करें, यदि कोई हो

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*